

कृष्ण सिंह बनाम निर्मल कौर आदि
 अन्तर्गत धारा 188 आरटीए नम्बर 132 सन 2022
 जी सी एम एस नम्बर 9022/186

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
 अदकाल जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

तामिल
 हुकम

21.06.2022

वादी कृष्ण सिंह पुत्र वरराम सिंह जति बावरी निवासी 50 एच
 बी तहसील श्रीकरणापुर की ओर से अधिवक्ता श्री परमविन्द सिंह, इन्द्राज सजु
 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर
 किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली
 दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।

28/6/22

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की
 ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा
 ने वकालतनामा पेश किया शामिल
 मिश्रित रहे। जवाब देना हेतु समर्थ
 पाहा। पत्रावली वास्तु जवाब देना
 दिनांक 02/08/22 को पेश हो

8/2/22

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी
 अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को नोटिफिकेशन
 किया। वादी अधिवक्ता को सुनार मया
 व पत्रावली का अवलोकन किया गया
 वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत
 धारा 188 RPA नोटिफिकेशन करने पर
 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
 पत्रावली विनोति होकर गम्बर से
 कम होकर दाखिल दफ्तर हो

Not Presh
 [Signature]



जज अविश्वी (यजमन)
 श्री सजु